रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 593] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 1, 1971/अग्रहायण 10, 1893
No. 593] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 1, 1971/AGRAHAYANA 10, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 8th October 1971

S.O. 5263/18A/IDRA/71.—Whereas the Central Government is of the opinion that the Ahmedabad Jupiter Spinnings Weaving and Manufacturing Co. Ltd., Ahmedabad and Bombay, the Industrial undertakings in respect of which an investigation has been made under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) are being managed in a manner highly detrimental to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 18A of the said Act, the Central Government hereby authorises the National Textile Corporation (hereinafter referred to as Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said undertakings namely, the Ahmedabad Jupiter Spinning Weaving and Manufacturing Co. Ltd., Ahmedabad and Bombay, subject to the following terms and conditions, namely:—

(i) The Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the official gazette of this notified order; and

(iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the official gazette.

[No. 9(16)/Lic/Pol/71.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1971

का० आ० 5263.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अहमदाबाद ज्यूपिटर स्पिनिंग वीविंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, अहमदाबाद तथा बम्बई नामक औद्योगिक उपक्रमों का, जिनके संबंध में औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन एक जांच की गई है, प्रबंध इस ढंग से किया जा रहा है जो सार्वजनिक हित में बहुत ही अहितकर है ;

अतः अब उपरोक्त अधिनियम की धारा 18क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, अहमदाबाद ज्यूपिटर स्पिनिंग वीविंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, अहमदाबाद तथा बम्बई नामक उपरोक्त संपूर्ण उपक्रमों का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने के लिए एतद्द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एतदोपरान्त जो प्राधिकृत नियंत्रक कहा जाएगा) को प्राधिकृत करती है, जिसकी शर्तें निम्नोक्त हैं, अर्थात् :—

(1) प्राधिकृत नियंत्रक, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गए निदेशों का पालन करेगा ;

(2) प्राधिकृत नियंत्रक इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए कार्यभार संभालेगा ;

(3) केन्द्रीय सरकार यदि आवश्यक समझेगी, तो इससे पूर्व भी इस प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को रद्द कर सकती है ।

2. यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ।

[सं० 9 (16)/एल०पी०/71]

सुरेश कुमार सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENENRAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971